तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5.18	वादीपक्ष की ओर से प्र.पत्र 152 CPC पेश होने पर पत्रावली पेशी से ली गयी प्र.पत्र को No-objection किया गया प्र.पत्र मंजूर लाल (नाम) से दुरुस्ती की जावे (sd/-)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर. ए. एस.

वाद सं.: ५००/2017

मिठू सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

-वादी

बनाम

1. जगराज सिंह
2. जीत सिंह
3. बलविन्द्रसिंह
4. बलतेज सिंह

पिसरान स्व. करनैल सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान

5. तेज कौर धर्मपत्नी स्व. करनैल सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान

6. रणजीत सिंह
7. जगजीत सिंह
8. मनजीत सिंह

पिसरान जरनैल सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

9. बिल्ला सिंह उर्फ नक्षत्र सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

10. सूबा सिंह पुत्र नंद सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

11. समुन्द्रपाल सिंह
12. बिन्दर सिंह

पिसरान हाकम सिंह

13. रजनजीत कौर पत्नी हाकम सिंह

जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

14. जग्गा सिंह
15. बग्गूसिंह

पिसरान नंद सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

16. सुखमंदर सिंह
17. भादर सिंह
18. पिपना
19. पम्मी

पिसरान गुरचरण सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

20. अशोक कुमार पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

21. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ

-प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

उपस्थितः अधिवक्ता वादीः श्री अनिल कुमार शर्मा

अधिवक्ता प्रतिवादीगणः श्री प्रदीप मोहन भाटी

निर्णय

दिनांकः 6.4.18

यह कि वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवम प्रतिवादीगण के नाम चक 16 एलएलडब्ल्यू ''ए के प नं. 108/224 (9) कि नं. 3-4-5-6-7-8-14 राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदी के हिसाब से उक्त भूमि में प नं. 108/224 (9) कि नं. 3-4-5-6-7-8-14 कुल 1.504 हैक्टेयर भूमि में वादी को 0.625 हैक्टेयर भूमि प्राप्त है जिसमें वादी कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने उसकी एवज में अन्य चकों में भूमि प्राप्त कर ली है किन्तु वादी के हक हिस्सा की हद तक प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए वादी उक्त भूमि में से 0.625 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 स्व. करनैल सिंह पुत्र गजन सिंह के वारिसान हैं, को करनैल सिंह पुत्र गजन सिंह ने प्रश्नगत रकबा की वसीयत निष्पादित कर रखी है व प्रतिवादीगण सं. 6 ता 8 जरनैल सिंह पुत्र गजन सिंह के वारिसान हैं, के पक्ष में शेष वारिसान जरनैल सिंह ने हक त्याग प्रश्नगत भूमि का हक त्याग पत्र विलेख दिया हुआ है। प्रतिलिपि वसीयतनामा हक त्याग संलग्न वाद पत्र है इसलिए राजस्व रिकार्ड में करनैल सिंह पुत्रगजन सिंह व जरनैल सिंह पुत्र गजन सिंह को दावा में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है आदि-आदि दर्ज कर निवेदन किया कि वादी को वाद पत्र की मद सं. 2 में दर्ज भूमि में प नं. 108/224 (9) कि नं. 3-4-5-6-7-8-14 कुल 1.504 हैक्टेयर भूमि में से 0.625 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया। वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तामील किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या1-3-4-6-7-8 व 10-15 की ओर से अधिवक्ता प्रदीप मोहन भाटी द्वारा जवाब इकबाल प्रस्तुत कर मुताबिक वादी वाद एवम् काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 9 व 17 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के मुताबिक डिक्री फरमाए जाने का निवेदन किया व प्रतिवादी सं. 9 व 17 द्वारा प्रस्तुत जवाब वाद मय काउन्टर क्लेम का वादी अधिवक्ता द्वारा नो ऑब्जेक्शन किया गया। बहस वादी एवम् प्रतिवादीगण अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब व काउन्टर क्लेम का अवलोकन किया जिसके पश्चात वाद वादी एवम् काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 9 व 17 को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

सहायक कलेक्टर
...कारी

Scanned by CamScanner

LLW 'A'

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है व वादी का चक 16 एएलडब्ल्यू म नं. 108/224 (9) कि नं. 3 ता 8, 14 कुल 1.504 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 ता 8, 10 ता 16, 18-19-20 के नाम कलमजन कर वादी को 0.625 हैक्टयेर भूमि का व प्रतिवादी सं. 9 को 0.666 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी सं. 17 को 0.202 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का आदेश दिया जाता है व इसी अनुसार पर्चा डिक्री अलग कायम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.4.18 को खुले न्यायालय में लिखवाया सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर. ए. एस.

वाद संख्याः ५००/१७

मिठू सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

-वादी

बनाम

1. जगराज सिंह 2. जीत सिंह 3. बलविन्द्रसिंह 4. बलतेज सिंह	पिसरान स्व. करनैल सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान

5. तेज कौर धर्मपत्नी स्व. करनैल सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान

6. रणजीत सिंह 7. जगजीत सिंह 8. मनजीत सिंह	पिसरान जरनैल सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

9. बिल्ला सिंह उर्फ नक्षत्र सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

10. सूबा सिंह पुत्र नंद सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

11. समुन्द्रपाल सिंह 12. बिन्दर सिंह	पिसरान हाकम सिंह	जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ
13. रजनजीत कौर पत्नी हाकम सिंह		

14. जग्गा सिंह 15. बग्गूसिंह	पिसरान नंद सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

16. सुखमंदर सिंह 17. भादर सिंह 18. पिपना 19. पम्मी	पिसरान गुरचरण सिंह जाति जट सिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

20. अशोक कुमार पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ

-प्रतिवादीगण

21. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

<u>वाद बाबत घोषणा</u>

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर. ए. एस. के समक्ष अभिभाषक वादी-श्री अनिल कुमार शर्मा एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार की उपस्थिति में निर्णिणार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 16 एएलडब्ल्यू (LLW 'A') प्र नं. 108/224 (9) कि नं. 3 ता 8, 14 कुल 1.504 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 ता 8, 10 ता 16, 18-19-20 (विलोपित) का नाम कलमजन कर वादी को 0.625 हैक्टयेर भूमि का व प्रतिवादी सं. 9 को 0.666 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी सं. 17 को 0.202 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का आदेश दिया जाता है।

आज दिनांक 6.4.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षरों एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner